आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर रेलवे

G20 भारत 2023 INDIA

सांकेतिक अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2018/Trans Cell/एस एंड टी/संविदा स्टाफ दिनांक 25.10.2018 तथा पत्रांक 2021/W-I/Genl./Gati Shakti pt (e-3397961) दिनांक 20.02.2023 में उल्लेखित शर्तों के आलोक में निर्माण संगठन में सेवाओं की अत्यावश्यकता के आधार पर उत्तर रेलवे निर्माण संगठन में निम्नलिखित सलाहकार पदों (Consultancy positions) पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनःतैनाती (Re-engagement)

1. **कुल–06 सलाहकार पद (Consultancy Positions)**
   (i) सिविल इंजीनियरिंग विभागः 04 स्थान जूनियर स्केल/सीनियर स्केल/जेएजी
   (ii) सिंगनल एवं दूर संचार विभागः 01 स्थान जूनियर स्केल/सीनियर स्केल/जेएजी
   (iii) विद्युत विभागः 01 स्थान जूनियर स्केल/सीनियर स्केल/जेएजी
2. **Walk-in Interview की तिथिः 11 अगस्त, 2023 (शुक्रवार)**
3. **Walk-in Interview का पताः** समिति कक्ष, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण कार्यालय, उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
4. **Walk-in Interview हेतु आवश्यक दस्तावेज़ः** प्रत्येक उम्मीदवार (सेवानिवृत अधिकारी) को अपने अपने आवेदन के तीन सेट जिसमें बायो–डाटा, अवार्ड, नियुक्ति का स्थान, कार्य अनुभव का विवरण और अनुशासन एवं अपील रिकॉर्ड दस्तावेज़ के साथ कार्यक्रम स्थल पर प्रस्तुत होना है।
5. **आवेदन हेतु प्रपत्र (Format) मिलने का स्थानः** उत्तर रेलवे की वेबसाईट **www.nr.indianrailways.gov.in**
6. **योग्यता (Eligibility)**
   (1.) अभ्यर्थी अभियांत्रिकी विभाग, संकेत एवं दूरसंचार व विद्युत विभाग के जूनियर स्केल/सीनियर स्केल/जेएजी के पद पर से सेवानिवृत्त हुआ हो।
   (2.) अभ्यर्थी की आयु पुनःतैनाती (Re-engagement) किए जाने के समय 65 वर्ष से कम हो।
   (3.) अभ्यर्थी को आवश्यक चिकित्सकीय जाँच के उपरान्त ही पुनःतैनात (Re-engagement) किया जाएगा।
   (4.) मूल आवेदन के साथ अपेक्षित अभिप्रमाणित कागजात निम्नानुसार संलग्न करें–
      1) पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ
      2) जन्मतिथि प्रमाण–पत्र (हाई–स्कूल/समकक्ष प्रमाण–पत्र)
      3) आधार व पैन कार्ड की छायाप्रतियाँ
      4) सेवानिवृत्त कर्मचारी के पी.पी.ओ. की प्रतिलिपि
      5) सेवानिवृत्त प्रमाण–पत्र (Service Certificate)
7. **अन्य सामान्य निर्देश** –
   1) सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार (Consultant) के रूप में पुनःतैनात (Re-engage) किया जाएगा।
   2) सलाहकार (Consultant) के रूप में पुनःतैनाती (Re-engage), सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुनःनियोजन (Re-employment) के रूप में नही मानी जाएगी।
   3) आवेदन पत्र का प्रारूप पात्रता नियम तथा शर्तें एवं पूर्ण विवरण उत्तर रेलवे की वेबसाईट **www.nr.indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध है।
8. यदि हिन्दी व अंग्रेजी की अधिसूचना में किसी प्रकार की भिन्नता होती है तो अंग्रेजी की अधिसूचना को सही समझा जाए।

इस QR Code को एण्ड्रोइड/आई–ओएस (iOS) मोबाइल फोन से स्कैन करके भी विवरण व प्रपत्र देख सकते हैं।

जारीकर्ता

सहायक कार्मिक अधिकारी/नि0

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि0

2337/23